न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 114/2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/320

वादी	बनाम	प्रतिवादी
भूराराम पुत्र रामलाल जाति कुम्हार निवासी जागसा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1. अचलाराम पुत्र रायमल जाति कुम्हार निवासी जागसा तहसील पचपदरा 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 3. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा टापरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:–

1. श्री चेलाराम कुमावत व श्री जूंजाराम पटेल अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी एकतरफा

निर्णय

दिनांक 25/3/2025

1. संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम जागसा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1729/681 रकबा 17.19 बीघा भूमि अवस्थित है। वादी का अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी की खातेदारी भूमि की बदिशा दक्षिण में प्रतिवादी संख्या 01 का खातेदारी खेत खसरा संख्या 1730/681 अवस्थित है। प्रतिवादी वादी की खातेदारी में दंखलदान्जी करने की कोशिश करता रहता है। इस कारण वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की दंखलदान्जी नहीं करे,इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने एवं दौराने दावा यदि प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी भूमि में अवैध कब्जा कर दिया हो तो हटवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है।
2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादी के वाद पत्र का वांछित अनुतोष ही तनकीयाम मानी गई। वादी गवाहान में पी.डब्ल्यू–1 भूराराम के बयानात कलमबद्व किए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत 2071–2074,प्रदर्श–02 इसी ग्राम की नक्शा ट्रेस प्रति,प्रदर्श–3 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 05.7.2024,प्रदर्श–4 केम्प जागसा रिपोर्ट दिनांक 02.11.2021 एवं प्रदर्श–5 नक्शा प्रति प्रदर्शित करवाई गई।

4. वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम जागसा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1729/681 रकबा 17.19 बीघा भूमि अवस्थित है। वादी का अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी की खातेदारी भूमि की बदिशा दक्षिण में प्रतिवादी संख्या 01 का खातेदारी खेत खसरा संख्या 1730/681 अवस्थित है। वादी एवं प्रतिवादी की खातेदारी भूमि के बीच में पुरानी सीमा माठ कायम है,लेकिन प्रतिवादी वादी की खातेदारी भूमि में अवैध कब्जा करने की नियत से पुरानी माठ को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है तथा प्रतिवादी की ओर से आए दिन वादी की खातेदारी भूमि में दंखलदान्जी करने की कोशिश करता रहता है। इस कारण वादी की ओर से अपनी खातेदारी भूमि की सीमा के चारो तरफ तारबंदी करने के लिए तैयारी किए जाने पर प्रतिवादी द्वारा आना–कानी की गई। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाने हेतु उप तहसील कार्यालय जसोल में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसके आधार पर वादी की खातेदारी भूमि की सीमा चिहिन्त कर निशानत कायम किए गए,लेकिन तो भी प्रतिवादी द्वारा वादी की सीमाओं में दंखलदान्जी की जा रही है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादी की ओर से बयानात मय दस्तावेजात से साबित किया है कि प्रतिवादी वादी की खातेदारी भूमि में दंखलदान्जी कर रहा है। अंत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर माफिक अनुतोष वादी का वाद डिक्री किया

5. **हमनें** वादी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात,फर्द रिपोर्ट एंव बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि मूल खसरा संख्या 681 से विभक्त होकर खसरा संख्या 1729/681 व 1730/681 कायम हुए। वादी की खातेदारी खसरा संख्या 1729/681 व प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी खसरा संख्या 1730/681 है। वादी द्वारा वाद–पत्र में मुख्य अनुतोष चाहा है कि वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी द्वारा दंखलदान्जी की जा रही है,इस कारण स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जावे तथा दौराने दावा यदि अवैघ कब्जा किया गया हो हटवाया जावें। जो कि वादी अपने साक्ष्य सबूतो से साबित नहीं कर पाया है,क्योकि वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया है,जिससे साबित होता है कि वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी द्वारा दंखलदान्जी की जा रही है। पत्रावली के संलग्न प्रदर्श–3 सीमाज्ञान रिपोर्ट अवलोकन से साबित होता है कि दोनो खसरान की सीमाओं को लेकर कोई तनाजा नहीं है। इस प्रकार वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादी उसकी खातेदारी भूमि में दंखलदान्जी कर रहा हो। पत्रावली के संलग्न प्रदर्श–4 रिपोर्ट अपने आप में विरोधाभासी है,क्योकि रिपोर्ट में किसी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पक्षकार की उपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं है अर्थात मौका मुआयना के संबध में पक्षकारान की उपस्थिति की सूचना का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार न्यायालय हाजा उक्त रिपोर्ट को ज्यादा तहजीर दिया जाना उचित नही समझता है,क्योंकि वादी द्वारा वाद पत्र लाया गया है,और वादी को ही अपनी साक्ष्य सबूतो के आधार पर अपना वाद साबित करवाना होता है,जो कि वाद अपना वाद साबित करवाने में असफल रहा है। ऐसी सूरत मे वादी का वाद खारिज योग्य है।

6. उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 25/3/2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
25/03/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 114/2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/320

वादी

बनाम

प्रतिवादी

भूराराम पुत्र रामलाल
जाति कुम्हार निवासी जागसा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1 अचलाराम पुत्र रायमल जाति कुम्हार निवासी जागसा तहसील पचपदरा
2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा
3.शाखा प्रबंधक स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा टापरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर 114/2021

निर्णय दिनांक :–25.03.2025

वादीं की ओर से श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 25.3.2025 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 25.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस	—	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	—	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा